क्रम-संख्या—183

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड–क

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 6 अगस्त, 2004

श्रावण 15, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1127/सात-वि-1—1(क) 12-2004

लखनऊ, 6 अगस्त, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महेदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 5 अगस्त, 2004 को अनुमानित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2004

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2004]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायगा।

(2) यह 11 जून,2004 का प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (6) के पश्चात निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"(7) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जैसी विहित की जायं, राज्य सरकार उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुयी किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूंजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, ऐसे विक्रय, जो ऐसी इकाई के लिये किये जायें, से संबंधित व्यापारियों के व्यापार कर के दायित्व के लिये दायी होने की अनुज्ञा दे सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अनुज्ञा ऐसे उप व्यापारी के मामले में भी प्रदान की जा सकती है जिसका विक्रय ऐसी ऊर्जा क्षेत्र की इकाई द्वारा क्रय करने पर चरम बिन्दु पर हो जाय।

(8) ऐसी शर्तों के, जैसी विहित की जायं, अधीन रहते हुये, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई की स्थापना के प्रारम्भ के समय विभिन्न वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय व्यापार कर की दर ऐसी इकाई द्वारा क्रय के सम्बन्ध में छूट की अवधि में नहीं बढ़ायी जायेगी।"

धारा 8 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2-क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(2-ख) अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार ऐसी शर्तों के, जैसी विहित की जांय, अधीन रहते हुये किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को स्वीकृत रूप में देय कर के भुगतान से अधिस्थगन दे सकती है।"

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य ऊर्जा नीति 2003 को कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 को संशोधित करके,–

(1) उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी हुई किसी ऊर्जा परियोजना औद्योगिक इकाई को, जिसकी कुल पूंजी निवेश एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक हो, ऐसे विक्रय जो ऐसी इकाई के लिए किये जायें, से सम्बन्धित व्यापारियों के व्यापार कर के दायित्व के लिए दायी होने की अनुज्ञा देने;

(2) यह घोषित करने कि उक्त इकाई की स्थापना के प्रारम्भ के समय विभिन्न वस्तुओं पर उद्ग्रहणीय व्यापार कर की दर उक्त इकाई द्वारा क्रय के सम्बन्ध में छूट की अवधि में नहीं बढ़ायी जायेगी;

(3) उक्त इकाई को स्वीकृत रूप में देय कर के भुगतान से अधिस्थगन दे सकने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने की व्यवस्था की जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 जून, 2004 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1127 (2)/VII-V-1–1(KA) 12-2004

Dated Lucknow, August 6, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2004 :

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) ACT, 2004

[U.P. ACT NO. 14 OF 2004]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 11, 2004.

Amendment of section 3 of U.P. Act no. 15 of 1948

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 (U.P. Act no. 15 of 1948), hereinafter referred to as the principal Act; after sub-section (6), the following sub-sections shall be *inserted*, namely :–

"(7) Subject to such conditions as may be prescribed, the State Government may permit any Power Project Industrial Unit, engaged in generation, transmission and distribution having the aggregate capital investment of Rs. 1000 Crore or more to own the trade tax liabilities of a dealer of such sales as are made to that unit:

Provided that such permission may also be granted in the case of a sub-dealer whose sales culminate in the purchases by such unit.

(8) Subject to such conditions as may be prescribed, the State Government may, by notification, declare that the rate of trade tax leviable on various goods at the time of start of the establishment of a Power Project Industrial Unit shall not be enhanced in the case of purchases by such unit during the period of exemptions."

Amendment of section 8

3. In section 8 of the principal Act, after sub-section (2-A), the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(2-B) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act and rules made thereunder, the State Government may grant moratorium from payment of the admitted tax to a Power Project Industrial Unit, subject to such conditions as may be prescribed."

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 7 of 2004

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in such-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to implementing the State Energy Policy 2003 approved by the State Government it was decided to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 to provide for empowering the State Government,-

1. to permit any Power Project Industrial Unit engaged in generation, transmission and distribution having the aggregate capital investment of Rs. one thousand crore or more to own the trade tax liability of a dealer of such sales as are made to the said unit;

2. to declare that the rate of tax leviable on various goods at the time of start of the establishment of the said unit shall not be enhanced with respect to the purchases by the said unit during the period of exemption;

3. to grant moratorium to the said unit from the payment of admitted tax.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2004 (U. P. Ordinance no. 7 of 2004) was promulgated by the Governor on June 11, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D. V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 294 राजपत्र (हि०)—2004—(777)—597 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 147 सा० विधा०—7-8-04—(778)—850 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।